

ध्याना कामना

शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी

जिला - मोहला मानपुर अं. चौकी (छ.ग.)



शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. शिकायत का अधिकार क्षेत्र महाविद्यालय से संबंधित एवं परिसर में घटित घटनाओं से संबंधित होगा।
2. विद्यार्थी, पालक एवं महाविद्यालय के कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित में कार्यालय में जमा करें अथवा शिकायत बॉक्स में डालें।
3. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का उद्देश्य प्राप्त शिकायतों का निवारण शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से किया जावे।
4. शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जावेगा।
5. शिकायत का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
6. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ यदि चाहे तो शिकायतकर्ता को बुलाकर शिकायत/मांग इत्यादि के संबंध में पूछताछ कर सकती है।
7. शिकायत के समाधान हेतु यदि आवश्यक हो तो प्रकोष्ठ सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर उनसे चर्चा कर सकती है।
8. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा।
9. प्रकोष्ठ के संयोजक निर्णय को महाविद्यालय के प्राचार्य को अग्रेषित करेंगे।
10. प्रकोष्ठ के संयोजक की अनुपस्थिति में वरिष्ठता के आधार पर सदस्य उत्तर-दायित्व का वहन करेगा।



शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय

अम्बागढ़ मौकी

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जो अरुचिकर यौन भावना से प्रेरित हो।
2. शारीरिक सम्पर्क एवं निकट आने का प्रयत्न।
3. यौन अनुग्रह की मांग।
4. अश्लील चित्र दिखाना।
5. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक मौखिक गैर मौखिक सम्पर्क।
6. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाय।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विद्वेष या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाय।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाय।
9. छेड़खानी करना।
10. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करना या भंग करने का प्रयत्न करना।
11. भद्दा मजाक करना।
12. फोन पर अश्लील बातचीत करना।
13. इच्छा के विरुद्ध करना उसकी निजता की उल्लंघन करना।
14. किसी भी प्रकार की जादू-टोना आदि संबंधी अपराध करने पर विभाग प्रमुख कि निकटतम पुलिस थाना, महिला को तत्काल संचित करें।





आप सतत सी.सी.टी.वी
कैमरे की निगरानी में है ।